**प्रस नोट**

**जनपद कानपुर देहात**
**दिनांक- 08.07.2025**

❖ **पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना/शाखा प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी कर अपराध नियंत्रण/कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**

आज दिनांक 08.07.2025 को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/शाखा/चौकी प्रभारी, यातायात प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे तथा गोष्ठी में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, महिला सम्बन्धी अपराधों एवं बच्चों के प्रति अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया साथ ही निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।

**गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये -**

1. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पिछले माह की अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं गंभीर अपराधों जैसे डकैती, लूट, चोरी, महिला अपराध, और साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया।
2. लंबित प्रकरणों और विवेचनाओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
3. महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने, पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई, और महिला हेल्पलाइन की सक्रियता बढ़ाने पर बल दिया गया।
4. साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाकर आम-जनमानस को जागरूक करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
5. यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने, अवैध पार्किंग, और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया।
6. आई0जी0आर0एस/जनसुनवाई प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की स्थिति तथा फीडबैक (संतोषजनक / असंतोषजनक) के संबंध में समीक्षा की गई ।
7. आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों के पैरवी की स्थिति की समीक्षा की गई ।
8. पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की गई।
9. लम्बित चरित्र सत्यापन/पासपोर्ट संबंधी प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की गई एवं उपरोक्त सभी प्रकरणों में ध्यान केन्द्रित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
10. जनपदीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय कर समस्त प्रकार के प्रतिबन्धित संगठनों/अवैध शस्त्रों/कारतूसों/शराब/विस्फोटक पदार्थों/मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया।
11. सोशल मीडिया पर जातिगत/सांप्रदायिक/भ्रामक/अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर त्वरित विधिक कार्यवाही करने एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

**पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने, शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।**